दैनिक न्याय साक्षी

गुम हुई महिला का हत्यारा चक्रधरनगर पुलिस की गिरफ्त में

❐ लिव-इन रिलेशन में साथ रहने वाला महिला का कथित पति घटना के बाद से था फरार

❐ महिला को गैर मर्द के साथ देखकर मारपीट कर सिर को सीमेंट फर्श पर पटक-पटककर किया हत्या

❐ घर के बाड़ी में शव को दफन कर हुआ था फरार, शव दफन में प्रयुक्त रापा जब्त

रायगढ़। एसपी अभिषेकमीणा के मार्गदर्शन पर #चक्रधरनगर पुलिस द्वारा दो दिन पहले मांझापारा बड़े अतरमुड़ा में उत्खन्न पर मिले गुम महिला कांति बाई यादव (37 साल) के शव मामले में दिनांक 18.09.2022 को हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी खगेश्वर राम यादव उर्फ अजय यादव (41 साल) को जशपुर जिले के कुनकुरी थानाक्षेत्र में दबिश देकर पकड़ा गया है। पुलिस का प्रथम संदेह खगेश्वर राम यादव उर्फ अजय यादव पर था जो पुलिस की जांच कार्रवाई के समय से लुक-छिप रहा था।

जानकारी के मुताबिक दिनांक 16/09/2022 के शाम डिलेश्वरी यादव पति भुनेश्वर यादव उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम भातुडांड पत्थलगांव, जशपुर द्वारा थाना चक्रधरनगर आकर उसकी छोटी बहन कांति बाई यादव पति अजय यादव उम्र 37 वर्ष निवासी मांझापारा बड़े अतरमुड़ा थाना चक्रधरनगर के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया। डिलेश्वरी यादव बताई कि उसकी छोटी बहन कांति बाई का विवाह काफी पहले ग्राम कंडोरा में किये थे। उसके विवाहित पति से उसे 2 लड़का, 1 लड़की है। कांति बाई का उसके पति से झगड़ा विवाद होने पर कुनकुरी लोटापानी के रहने वाले खगेश्वर उर्फ अजय यादव के साथ प्रेम विवाह कर रहने लगी और काफी दिनों से दोनों रायगढ मांझापारा बड़े अतरमुड़ा में घर बना लिए थे। कांति मोबाइल पर बताती थी कि उसका अजय के साथ भी झगड़ा होता था। दिनांक 01.09.2022 से कांति का मोबाइल बंद बता रहा है , उसका घर भी बंद है। मामले में गुम इंसाञन क्रमांक 76/2022 दर्ज कर गुम इंसान कांति, उसके पति अजय का मोबाइल नम्बर लेकर जांच में लिया गया।

रिपोर्टकर्ता डिलेश्वरी यादव दिनांक 18.09.2022 को सूचना दिया गया कि कांति के घर का एक चाबी उसके पास था। दिनांक 16.09.2022 को रायगढ आई और कांति के घर गई तो ताला लगा था तो रिस्तेदार के घर चली गई थी। दिनांक 18.09.2022 को कांति के घर जाकर ताला खोलकर देखी तो घर की बाड़ी में मिट्टी के बाहर एक महिला के पैर की उंगली एवं खोपड़ी दिखाई दे रहा है। सूचना पर तत्काल सीएसपी दीपक मिश्रा, थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक शनिप रात्रे अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। शव का विधिवत कार्यपालिक दण्डाधिकारी की उपस्थिति में उत्खनन कराया गया। शव की पहचान डिलेश्वरी यादव द्वारा उसकी बहन कांति यादव के रूप में की। शव को पी.एम के लिये भेजा गया। गुम इंसान जांच में प्रथम दृष्टिया मृतिका की हत्या कर शव को गड्ढे में दफन उसके पति खगेश्वर उर्फ अजय यादव के द्वारा किये जाने का संदेह होने पर प्रार्थिया डिलेश्वरी यादव की रिपोर्ट पर दिनांक 18.09.2022 को संदेही खगेश्वर उर्फ अजय यादव के विरूद्ध धारा 302, 201 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

संदेही खगेश्वर उर्फ अजय यादव फरार था, जिसे शीघ्र हिरासत में लेने पुलिस अधीक्षक अभिषेकमीणा द्वारा सीएसपी दीपक मिश्रा को निर्देशित किये। सीएसपी दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर थाना चक्रधरनगर एवं लैलूंगा की संयुक्त टीम संदेही खगेश्वर उर्फ अजय यादव के लुकने –छिपने के स्थान लैलूंगा, जशपुर पर दबिश दिया गया, इसी दरम्यान संदेही के ग्राम लोटापानी में छिपे होने की सूचना पर रायगढ़ पुलिस टीम द्वारा सुनियोजित तरीके से थाना कुनकुरी स्टाफ के सहयोग से ग्राम लोटापानी में दबिश देकर संदेही खगेश्वर उर्फ अजय यादव को हिरासत में लेकर थाना लाया गया। संदेही खगेश्वर उर्फ अजय यादव द्वारा उसकी पत्नी कांति की हत्या कर शव को दफन कर भाग जाना कबूल कर घटना का वृतांत बताया।

आरोपी खगेश्वर राम यादव उर्फ अजय यादव उम्र 41 वर्ष निवासी मांझापारा बड़े अतरमुड़ा मूल निवासी ग्राम लोटापानी थाना कुनकुनी जिला जशपुर बताया कि करीब 12-13 वर्ष से रायगढ़ में किराए मकान पर रहकर वाहन चलाने का काम करता है। 3 वर्ष पहले मांझापारा में स्वयं का मकान बना लिया है। खगेश्वर बताया कि वह कांति यादव से प्रेम विवाह कर उसे पत्नी बनाकर रखा था। कांति के गैर व्यक्तियों से मिलना-जुलना बातें करना उसे पसंद नहीं था जिसे लेकर कई बार दोनों में झगड़ा हुआ था और कांति को दूसरे व्यक्तियों मेल जोल रखने सख्त मना किया था। घटना के 3 दिन पहले अकेले अपने गांव लोटापानी, कुनकुरी गया जहां से लौटा तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। दीवार फांद कर अंदर जाकर देखा तो कांति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ थी गुस्से में कांति को थप्पड़ मारा, उसके साथ वाला व्यक्ति वहां से भाग गया फिर गुस्से में कांति को हाथ मुक्कों से मारपीट कर उसके सिर को दीवाल से टकराया उसका सिर सीमेंट फर्श पर गिरा, वो बेहोश होकर गिर पड़ी। तब घर से चला गया। दूसरे दिन सुबह आकर देखा तो कांति मरी पड़ी थी, डर से घर का दरवाजा बाहर से बंद कर बस स्टैंड और कई जगह बाहर-बाहर घूमता रहा। 3 दिन बाद वापस घर जाकर रात के समय कांति के शव को बाड़ी में राता से गड्ढा खोदकर लाश को दफन कर राता को मकान में छिपा कर कपड़े बदल कर फिर से गांव लोटापानी भाग गया। पुलिस की खोजबीन की सूचना पाकर लुक छिप रहा था। पुलिस द्वारा आरोपी खगेश्वर राम यादव उर्फ अजय यादव के मेमोरेंडम पर गड्ढा खोदने में प्रयुक्त रापा को आरोपी की निशानदेही पर घर से जप्त किया गया है। एडिशनल एसपी लखन पटले तथा सीएससी दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन एवं सतत सुपरविजन पर संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी चक्रधरनगर शनिप रात्रे, उप निरीक्षक दिनेश बोहिदार, प्रधान आरक्षक हेम प्रकाश सोन, सतीश पाठक, लोमश राजपूत, राजश्री वैष्णव, आरक्षक चंद्र कुमार बंजारे, विक्कू सिंह ठाकुर, शैलेंद्र पैकरा, नवीन शुक्ला, सुशील यादव, महिला आरक्षक कस्तुरी राठिया की अहम भूमिका रही है।

महत्वपूर्ण एवं खास

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम स्थापित करने हेतु 30 सितम्बर तक आवेदन आमंत्रित

रायगढ़। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई)खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, एफपीओ, एसएचजी, सहकारिताओं के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्यम स्थापित करने के लिए एक पहल है। पीएमएफएमई योजना अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु 30 सितम्बर 2022 तक आवेदन आमंत्रित किए गए है। इच्छुक आवेदक नियत तिथि तक कार्यालयीन समय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पहाड़ मंदिर रोड, रायगढ़ में संपर्क कर सकते है। रायगढ़ जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे-टोमेटो प्रसंस्करण पर आधारित उद्योग, बड़ी, पापड़, अचार, डेयरी, गुड़ प्रसंस्करण, पोहा, मुरमुरा, नमकीन, चिप्स, गुपचुप, ब्रेड, मिठाई, रेडी टू ईट एवं अन्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम स्थापित करने एवं योजना के लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। आवेदक को आवेदन जमा करते समय आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास के संबंध में दस्तावेज जैसे बिजली बिल, टेलीफोन बिल, राशन कार्ड इत्यादि तथा पिछले 6 माह का बैंक स्टेटमेंट जमा करना होगा। योजनान्तर्गत उद्यम स्थापना हेतु बैंक शाखाओं के माध्यम से सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना अथवा उन्नयन हेतु लिए गए टर्म ऋण पर 35 प्रतिशत अधिकतम राशि 10 लाख रुपये अनुदान का प्रावधान है।

पीएम-आशा योजना अंतर्गत अरहर, उड़द एवं मूंग फसल के लिए किसानों का पंजीयन प्रारंभ

रायगढ़। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में जिले में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना (पीएम-आशा योजना)के तहत अरहर, उड़द एवं मूंग फसलों की बुआई करने वाले कृषकों का पंजीयन प्रारंभ हो गया है। ऐसे कृषक अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से सेवा सहकारी समितियों में आवेदन पत्र के साथ ऋण पुस्तिका के साथ बी-1, पी-2, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति जमा कर अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 तक पोर्टल kisan.cg.nic.in पर पंजीयन करवा सकते है। इस योजना अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा में पंजीकृत कृषकों की अरहर, उड़द एवं मूंग फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड)द्वारा उपार्जन किया जाएगा। योजना के तहत शासन द्वारा अरहर एवं उड़द फसल हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य 6600 रुपये प्रति क्ंविटल एवं मूंग फसल हेतु 7755 रुपये प्रति क्ंविटल तय किया गया है। जिले में इन फसलों के उपार्जन हेतु शासन द्वारा थानखम्हरिया में उपार्जन केन्द्र चिन्हांकित किये गये है। उड़द एवं मूंग का उपार्जन 17 अक्टूबर से 16 दिसम्बर 2022 तक एवं अरहर का उपार्जन 13 मार्च 2023 से 12 मई 2023 तक की अवधि में किया जाएगा।

जिले में 1099.4 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज

रायगढ़। चालू वर्षा मौसम में रायगढ़ जिले में 16.3 सितम्बर तक 1099.4 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में जिले में 16.3 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले के रायगढ़ तहसील में 1319.5 मिली मीटर, पुसौर में 1358.9, खरसिया में 1088, सारंगढ़ में 1311.5, बरमकेला में 973.9, घरघोड़ा में 871.6, तमनार में 1149.5, लैलूंगा में 1100.6, धरमजयगढ़ में 1011.2, सरिया में 1017.9 एवं छाल में 890.5 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

रेल लाईन निर्माण के लिए निजी भूमि अधिग्रहण पर सुनवाई 28 सितम्बर को

❐ घरघोड़ा, खरसिया एवं धरमजयगढ़ के कृषक सुनवाई में हो सकते है शामिल

रायगढ़। अतिरिक्त कलेक्टर, रायगढ़ एवं सक्षम अधिकारी रेल लाईन परियोजना ने जानकारी देते हुए बताया कि रेल परियोजना खरसिया से कोरीछापर 0-45 कि.मी. पूरक-V कैच वाटर ड्रेन व घरघोड़ा स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया रेल लाईन निर्माण के लिए निम्नानुसार निजी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भारतीय रेल अधिनियम 1989 (संशोधित)के अनुसार धारा 20 (E) के तहत की जा रही है। इस संदर्भ में जिन कृषकों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया है अथवा आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते है, वे 28 सितम्बर 2022 को सुनवाई में भाग ले सकते है।

अनुविभागवार जिन स्थलों पर सुनवाई होगी, इनमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ में 28 सितम्बर को पूर्वान्ह 11 बजे से कार्यालयीन समय तक-सुनवाई हेतु प्रभावित गांव-अनुविभाग घरघोड़ा के ग्राम-बैहामुड़ा एवं कंचनुपर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खरसिया जिला-रायगढ़ में 28 सितम्बर को पूर्वान्ह 11 बजे से कार्यालयीन समय तक सुनवाई हेतु प्रभावित गांव-अनुविभाग खरसिया के ग्राम-भालूनारा एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धरमजयगढ़ जिला-रायगढ़ में 28 सितम्बर को पूर्वान्ह 11 बजे से कार्यालयीन समय तक-सुनवाई हेतु प्रभावित गांव-अनुविभाग धरमजयगढ़ के ग्राम-बेहरामुड़ा शामिल है।

छग कांग्रेस को बड़ा झटका अभिषेक शुक्ला भाजपा में शामिल

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. अभिषेक शुक्ला ने बीजेपी का दामन थाम लिया है. दरअसल अभिषेक शुक्ला कांग्रेस के बालोद जिला अध्यक्ष रह चुके हैं. साथ ही कामदा जोहले भी क्वछवक्क में शामिल हुई, जोहले सारंगढ़ विधायक रह चुकी हैं. वही विजय अग्रवाल की घरवापसी हो गई है। विजय अग्रवाल की घर वापसी से उनके समर्थको में जबर्दस्त उत्साह भर गया है। प्रदेश स्तर पर भाजपा की बैठक में आला नेताओं की उपस्थिति में निर्णय हुआ और विजय अग्रवाल की घरवापसी पर मुहर लग गई। इस दौरान बीजेपी दफ्तर एकात्म परिसर में रमन सिंह और नितिन नबीन सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

सर्पदंश पर स्वास्थ्य केन्द्र में जाकर तुरंत कराएं इलाज -सीएमएचओ डॉ.केशरी

❐ सर्पदंश से बचाव के संबंध में दिए गए टिप्स

रायगढ़। सीएमएचओ डॉ.एस.एन.केशरी ने जिलेवासियों को सर्पदंश से बचाव के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने सर्पदंश पर तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्रों में इलाज कराने हेतु आग्रह किया है। बरसात के दिनों में सर्पदंश के प्रकरण ज्यादा पाये जाते है। अधिकतर सर्प विषैले होते है जिनके काटने पर जान जाने का खतरा भी होता है, लेकिन कुछ सर्प विषैले नहीं होते फिर भी उक्त व्यक्ति को स्वास्थ्य केंद्रो में ले जाकर उसका नि:शुल्क इलाज कराना चाहिए। जिले के समस्त प्राथमिक /सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी को सर्पदंश के इलाज हेतु प्रशिक्षण दिया जा चुका है एवं सभी जगहों पर पर्याप्त मात्रा में एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध है। सांप काटने की जानकारी मिलने पर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क कर उनका अस्पताल में इलाज कराना प्रारंभ करें। इलाज जितना जल्दी शुरू होगा, विष का फैलाव से बचाव होगा जिससे मरीज की स्थिति उतनी जल्दी ठीक होगी। कई बार सर्पदंश से व्यक्ति डर जाता है और उसका मनोबल गिर जाता है, उस समय उसकी काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। अतएव मरीज को विभाग के कर्मचारियों द्वारा काउंसलिंग किया जाता है कि सर्पदंश का 100 प्रतिशत इलाज संभव है।

सर्पदंश पर क्या न करे:- कभी भी सर्पदंश वाले जगह को कांटे और बांधे नहीं और जिस जगह पर सर्पदंश हो उस जगह को ज्यादा न हिलायें-डुलाये। उस जगह को स्थिर रखें ताकि जहर का फैलाव शरीर में कम हो। बरसात के दिनों में जमीन पर न सोयें। खाट, पलंग पर ही सोयें और मच्छरदानी अवश्य लगाये। किसी भी प्रजाति के सर्पदंश की स्थिति में लापरवाही न बरतें और संबंधित व्यक्ति को इधर-उधर के इलाज से बचते हुए तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में जाकर इलाज कराना सुनिश्चित करें।

ई-श्रम कार्ड बनवाने वाले ग्रामीणों का बायोमैट्रिक फिंगर प्रिंट लेकर धोखाधड़ी : 11 ग्रामीणों के बैंक खातों से अपने खाते में ट्रांसफर किया 37921 रुपए

❐ शिकायत के तत्काल बाद लैलूंगा पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में

❐ आरोपी से मोटर सायकल, लैपटाप, प्रिंटर, चार्जर, लेमीनेशन मशीन व बायोमैट्रिक फिंगर प्रिंट जब्त

❐ आरोपी का बैंक खाता सीज, धोखाधड़ी के अपराध में भेजा गया रिमांड पर

रायगढ़। लैलूंगा थानाक्षेत्र के ग्राम फटहामुड़ा के ग्रामीणों को ई-श्रम कार्ड और नया बैंक पास बुक बनवाने के नाम पर 750-750 रूपये लेने और उनके खातों से धोखाधड़ी कर रूपये अपने खाते में ट्रांसफर करने वाले शातिर आरोपी श्रवण महंत (34 साल) निवासी ग्राम जूनाडीह लैलूंगा को ग्रामीणों के लिखित शिकायत के बाद प्रशिक्षु डीएसपी सौरभ उईके के नेतृत्व में लैलूंगा पुलिस द्वारा धोखाधड़ी की कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के मुताबिक कल दिनांक 19.09.2022 को ग्राम फुटहामुड़ा में रहने वाला हेमलाल राठिया पिता हृदय राम राठिया उम्र 45 वर्ष थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 11/09/2022 को जूनाडीह लैलूंगा का श्रवण महंत इनके गांव फुटहामुड़ा में आकर कियोस्क शाखा का आईडी दिखाया और गांववालों को बुलाकर बैंक खाता धारकों को ई- श्रम कार्ड एवं नया बैंक पास बुक बनवाना है बताकर नया बैंक पास बुक बनाने 700-700 रूपये और ई-श्रम कार्ड बनवाने के लिए 50-50 रूपये लगेगा बताया और अपने लैपटाप पर ग्रामीणों के नाम, पता एवं बैंक पास, बुक का खाता नम्बर लोड कर बायोमेटिक मशीन से फिंगर प्रिंट ले गया। दिनांक 15/09/2022 को पंजाब नेशनल बैंक लैलूंगा पैसा निकालने गया तब पता चला कि बैंक खाता से दिनांक 14/09/2022 को नगदी रकम 2766/- रूपये कोई अन्य व्यक्ति आहरण कर लिया है। तब घर वापस आकर गांववालों से चर्चा किया तब गांव के सुन्दर साय राठिया, रामसिंग राठिया, जीरा राम राठिया, कुन्ती राठिया, महेश राम राठिया, कौशिल्या यादव, संनकुवंर राठिया, रामसिंग राठिया, उत्तरा यादव, रासमोती यादव के भी SBI, पंजाब नेशनल बैंक, ग्रामीण बैंक से कियोस्क शाखा के माध्यम से कुल 37,921/- रूपये रूपये आहरण हुआ है। श्रवण महंत द्वारा ई- श्रम कार्ड बनाने एवं नया बैंक पास बुक बनाने के नाम जालसाजी धोखाधड़ी कर बैंकों से कियोस्क शाखा के माध्यम से आहरण कर लिये जाने के लिखित आवेदन को डीएसपी (प्रशिक्षु) सौरभ उईके, थाना प्रभारी लैलूंगा गंभीरता से लेकर आरोपी पर अप.क्र. 275/2022 धारा 420, 465 IPC की कार्रवाई करते हुए तत्काल थाने से सहायक उपनिरीक्षक चंदन नेताम के हमराह स्टाफ आरोपी पतासाजी के लिये रवाना किये। आरोपी श्रवण महंत को हिरासत में लेकर थाना लाया गया पूछताछ में आरोपी अपने पास कियोस्क शाखा की आईडी होना बताया और ग्राम फटहामुडा के ग्रामीणों के लिये गये बायोमैट्रिक फिंगर से उनके बैंक खाता से रूपये का आहरण अपने कियोस्क शाखा आईडी से करना स्वीकार किया है। आरोपी - श्रवण महंत उर्फ बबलू पिता रामबृज महंत उम्र 34 साल निवासी जूनाडीह वार्ड नं0 02 लैलूंगा, थाना लैलूंगा जिला रायगढ़ के मेमोरंडम पर घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल, इलेक्ट्रानिक मशीन लैपटाप, ,प्रिंटर, चार्जर, लेमीनेशन मशीन, बायो मैट्रिक फिंगर प्रिंट मशीन जप्त कर आरोपी के बैंक अकाउंट को सीज करने शाखा प्रभारी को पत्र भेजा गया है। लैलूंगा पुलिस की त्वरित कार्रवाई में डीएसपी (प्रशिक्षु) सौरभ उईके, थाना प्रभारी लैलूंगा, सहायक उपनिरीक्षक चंदन नेताम, प्रधान आरक्षक सुमेश गोस्वामी, रामरतन भगत, आरक्षक जोन प्रकाश टोप्पो, पुष्पेन्द्र मराठा, नेहरू उरांव थाना लैलूंगा की सराहनीय भूमिका रही है।

धारदार हथियार के साथ पकड़ा गया युवक, चक्रधरनगर पुलिस ने की आर्म्स एक्ट की कार्यवाई

रायगढ़। दिनांक 19.09.2022 की रात थाना चक्रधरनगर की पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा मुखबिर सूचना पर बालसमुंद शराब भट्ठी के पास के पास पहुंचकर रोड में एक युवक को हाथ में लोहे का धारदार तलवार लिए रोड में आने जाने वालों को डराते-धमकाते हुए घेराबंदी कर पकड़ा गया। युवक से नाम पता पूछने पर अपना नाम अंकित पाण्डेय पिता आशुतोष पाण्डेय उम्र 28 वर्ष निवासी कोटरापाली थाना चक्रधरनगर बताया जिससे लोहे के धारदार हथियार की जप्ती की गई। आरोपी अंकित पाण्डेय के कृत्य पर थाना चक्रधरनगर में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई किया गया है। थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक शनिप रात्रे के निर्देशन पर कार्रवाई में प्रधान आरक्षक दिलीप कुमार भानू, सतीश पाठक, सुशील यादव और आरक्षक चुडामणी गुप्ता शामिल थे।

मुख्यमंत्री ने प्राचीन देऊर मंदिर में दर्शन कर की प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना

❐ मौलिक रूप में दीमक द्वारा आच्छादित शिवलिंग है देऊर मंदिर की विशेषता

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालोद जिले में तीसरे दिन के अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत प्राचीन देऊर मंदिर में दर्शन करके की। मुख्यमंत्री ने गुरुर के देऊर मंदिर में भगवान शिव के प्राचीन शिवलिंग की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की मंगल कामना की। मुख्यमंत्री ने भगवान कालभैरव और नाग देवता के मंत्रोच्चार के बीच देऊर मंदिर में पूजा की। मुख्यमंत्री ने देऊर मंदिर के प्रांगण में रुद्राक्ष के पौधे का भी रोपण किया। देऊर मंदिर परिसर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भी मुख्यमंत्री ने दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने मंदिर के पुजारियों को उपहार भी भेंट किए।

देऊर मंदिर में स्थापित शिवलिंग का स्वरूप अपने आप में विशेष है। इस प्राचीन मंदिर में शिवलिंग अपने मौलिक रूप में विद्यमान है। खास बात है कि शिवलिंग यहां गर्भगृह में दृष्टिगोचर नहीं है। ऐसा माना जाता है की यहां शिवलिंग भूतल से 5 फीट नीचे गहराई में स्थापित है और बाहरी तौर पर पूरा शिवलिंग दीमक द्वारा आच्छादित नजर आता है। दीमक के घर को स्थानीय भाषा में भूड़ भी कहा जाता है और प्रचलित रूप में देऊर मंदिर में विराजमान भगवान शिव को भूड़ वाले बाबा भी कहा जाता है। देऊर मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली की स्थापत्य कला के अनुरूप किया गया है। यहां गर्भ गृह में पिरामिड नुमा शिखर है, जिसमें यंत्र निर्मित है। मंदिर के आचार्य सुरेश पांडे ने बताया की यह ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर के निर्माण के विषय में दो मान्यताएं प्रचलित हैं। यह कहा जाता है कि कलचुरी शासकों द्वारा सातवीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। वहीं नागवंशी शासकों द्वारा 12वीं शताब्दी में इस मंदिर को बनवाया गया है,ऐसा भी माना जाता है। मंदिर के पीछे के हिस्से में एक प्राचीन शिलालेख भी है जो गोंडी भाषा में है।

मौसम विभाग ने दी चेतावनी : चक्रवाती घेरा बनने से राज्य के चार संभागों में होगी बारिश, कहीं-कहीं बज्रपात की सम्भावना

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को।राज्य के ऊपर एक नया सिस्टम एक्टिव हो सकता है, जिसके प्रभाव से 21 से 24 सितंबर के बीच प्रदेश में अच्छी बारिश होने के आसार है। छग मौसम विभाग ने आज मंगलवार 20 सितंबर को अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वही एक-दो स्थानों पर वज्रपात और भारी वर्षा होने के आसार है। प्रदेश में एक-दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने तथा भारी वर्षा होने की भी संभावना है।

प्रदेश में आज कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और एक दो स्थानों पर वज्रपात के साथ भारी बारिश की भी संभावना है। आज 20 सितंबर को नए सिस्टम के बनने से 21 सितंबर को एक बार तेज बारिश के संकेत है। 21 से 24 सितम्बर तक छत्तीसगढ़ के मध्य-उत्तर क्षेत्र में झमाझम बरसात हो सकती है।बस्तर, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग में कहीं कही मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई अक्टूबर के पहले सप्ताह में मानी जा रही है।

मौसम विभाग के अनुसार,एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है। इसके साथ ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। इसके उत्तर-पश्चिम दिशा में ओडिशा तट की ओर बढ़ते हुए अगले 24 घंटे में और ज्यादा प्रबल होने की संभावना है। एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे तटीय पश्चिम बंगाल-तटीय उड़ीसा के ऊपर मंगलवार 20 सितंबर बनने के संकेत है, इसके प्रबल होते ही छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश के आसार बन सकते है।

राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2022 से अब तक राज्य में 1160.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून से आज 19 सितम्बर तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 2258.8 मिमी और सरगुजा में जिले में सबसे कम 532.1 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480